



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/2428
प्रति,

दिनांक : 27-12-18

प्राचार्य,
शा. महाविद्यालय, मकसी,
जिला-शाजापुर।

विषय :- महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से एम.कॉम. पाठ्यक्रम बंद किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/392/2018, मकसी, दिनांक 16.08.2018

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा सत्र 2019-20 से महाविद्यालय में संचालित एम.कॉम. पाठ्यक्रम बंद किये जाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसे विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2018 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, "शासन के पत्र क्रमांक/922/475/आउशि/सीमएमएस/योजना/18, भोपाल, दिनांक 24.07.2018 के अनुपालन में शा. महाविद्यालय, मकसी, जिला-शाजापुर में संचालित एम.कॉम. पाठ्यक्रम, सत्र 2019-20 से बंद करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

अतः उक्त निर्णय के अनुपालन में आपके महाविद्यालय में संचालित एम.कॉम. पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 से बंद किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि, यदि भविष्य में महाविद्यालय द्वारा एम.कॉम. पाठ्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जाता है तो नवीन सम्बद्धता संबंधी समस्त कार्यवाही पुनः पृथक से करना होगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/2429

दिनांक : 27-12-18

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, शा. बी.एस.एन. (अग्रणी) महाविद्यालय, शाजापुर।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रमोटी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।


अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)
26/12/18